उत्तराखण्ड शासन।
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या–3005/VII-2-08/150–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किये जाने, सुनियोजित औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–490/औ.वि./03–150 उद्योग टी.सी./2003 दिनांक 17 जुलाई, 2003 के द्वारा नई औद्योगिक नीति–2003 प्रख्यापित की गई थी जो 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावित थी, भारत सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज के परिप्रेक्ष्य में उक्त औद्योगिक नीति–2003 को 31 मार्च, 2010 अथवा नई औद्योगिक नीति घोषित होने तक यथावत् प्रभावी रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पी.सी. शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–3005 (1)/VII-2-08/150–उद्योग/2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव–मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

पी.सी. शर्मा,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 488/VII-II-08/08
देहरादूनः दिनांक : 29 फरवरी, 2008

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को अधिक बढ़ावा दिये जाने व औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किये जाने एवं राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने तथा समन्वित एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु श्री राज्यपाल महोदय दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु **विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2007** निम्नानुसार प्राख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उद्देश्य (Objective):

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं। इससे रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सकेगा। पर्वतीय विषम भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवेश तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इस पृथक औद्योगिक नीति में समन्वित एवं समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को चिन्हित (Identified) करते हुये अनुदान/प्रोत्साहन सुविधाओं की अनुमन्यता की सीमा व मात्रा निर्धारित की गई है। विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:–

1. हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग।
2. भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों में शामिल गतिविधियॉ।
3. प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियॉ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन गतिविधियॉ।
4. पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज–2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य सैक्टर की निम्न गतिविधियॉ:–

(1)– **सेवा क्षेत्र–**

- (i) होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल तथा रोप–वे।
- (ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओंयुक्त नर्सिंग होम।
- (iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फुड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।

(2)– जैव प्रौद्योगिकी (Bio-technology Industry)।

5. संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी (Protected Agriculture/Poly House), कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियॉ।
6. पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम

2– **दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरणः**

इस नीति में एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता के लिए योजना में आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

श्रेणी (Category)- एः

प्रदेश के सीमान्त एवं सुदूरवर्ती जनपद तथा उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नवसृजित जनपद, जिनमें जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू–भाग सम्मिलित हैं।

श्रेणी (Category)- बीः

जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

3– **योजना की वैघता अवधिः**

यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, लागू रहेगी।

4– <u>योजना से व्यवहृत इकाईयां एवं पात्रता क्षेत्रः</u>

योजना लागू होने के पश्चात् स्थापित ऐसे अभिज्ञात नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने अपने उद्यम की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की हों, तथा उद्यम की स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो, को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं/रियायतों का लाभ प्राप्त होगा। स्थापित उद्यम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर ये सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी।

5– <u>विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य छूट (Fiscal and concessional incentives):</u>

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन योजना नीति मे प्रदत्त प्रमुख अनुदान सुविधाओं/रियायतों तथा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नवत् हैः–

(1)– <u>भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजनाः</u>

(i) राज्य सरकार द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में वांछित अवस्थापना एवं सामान्य सुविधाओं, विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, नालियों व सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य पूर्ण कर विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(ii) राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर लीज डीड/सेल डीड के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया पूर्णतया छूट दी जायेगी।

(iii) यदि कोई उद्यमी नीजि औद्योगिक आस्थान/मेगा प्रोजैक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिये औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी।

(iv) उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाई जायेगी।

(v) औद्योगिक आस्थानों के रख–रखाव हेतु सहकारी समितियों के गठन के लिये उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि आस्थान के रख–रखाव हेतु आस्थान के उद्यमी सहकारी समिति का गठन करते हैं, तो समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंशपूँजी के अनुपात(5 गुना) में रू0 15 लाख तक की धनराशि एकमुश्त Grant-in-aid के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपोजिट किया जायेगा और इस प्रकार किए गए फिक्स डिपोजिट पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव हेतु किया जायेगा।

(vi) पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ होगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से अधिसूचित बंजर, असिंचित भूमि अथवा अन्य उपलब्ध स्थानों पर निजी सार्वजनिक सहभागिता में निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vii) निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों तथा मेगा प्रोजैक्ट की स्थापना में अवस्थापना सुविधाओं जैसेः विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क, सम्पर्क मार्ग, नालियों के निर्माण आदि में होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रू0 50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रर्वतकों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी।

(2)– <u>विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायताः</u>

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1644/VII/98–उद्योग/2005 दिनांक 13 जून, 2005 से दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के लिये क्रियान्वित विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना को इस योजना में संविलीन (Merge) करते हुये दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन के निर्माण, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नवत् विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता उपलब्ध करायी जायेगीः–

(i) श्रेणी– ए के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 30 लाख)

(ii) श्रेणी– बी के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू0 25 लाख)

(3)– <u>विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायताः–</u>

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1040/औ0वि0/ब्या0प्रो0स0–7/2004–169 उद्योग दिनांक 24 मई, 2004 के अन्तर्गत दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम य0 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता दिये जाने का प्राविधान हैं। यह योजना 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो रही है।

प्रदेश के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में दिनांक 1–4–2008 के पश्चात् भी ब्याज प्रोत्साहन सहायता निम्न प्राविधानों के साथ लागू रहेगीः–

(i) **श्रेणी– ए** के जनपदों में वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर देय सामान्य ब्याज की कुल दर पर 6 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रू0 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तथा **श्रेणी–बी** के जनपदों/क्षेत्रों में सामान्य ब्याज की कुल दर पर 5 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रू0 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी जायेगी।

(ii) विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के सभी उद्यमों/चिन्हित गतिविधियों को ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

(4)– <u>नये उद्यमों को विद्युत बिलों में पूर्ण छूटः–</u>

(अ) सभी अनुमन्य गतिविधियों के लिये 10 वर्ष तक विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र संबन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान में 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकती है।

(ब) होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रोलिंग मिल्स, इलैक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाईयॅा जो अधिक बिजली खपट करते हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।

(स) इस प्राविधान के अन्तर्गत फल संरक्षण एवं जड़ी–बूटी आधारित उद्योगों एवं स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जायगा। स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को आकर्षित किया जायेगा।

(5)– <u>विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्तिः</u>

योजनान्तर्गत सभी अनुमन्य गतिविधयों में देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति श्रेणी–ए के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी–बी के जनपदों में 75 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(6)– <u>विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायताः</u>

भारत सरकार की केन्द्रीय परिहवन उपादान योजना–1972 के अन्तर्गत प्रदेश के पहाड़ी जिलों में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को इकाई के कार्य स्थल से निकटतम रेल शीर्ष से कच्चामाल लाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने पर किये गये परिवहन व्यय में 75 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक केन्द्रीय परिवहन उपादान की सुविधा उपलब्ध है।

पर्वतीय क्षेत्रों में **स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों** को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत बृद्धि की क्षतिपूर्ति (Compensate) के लिये ऐसी इकाईयों को उनके कुल सालाना बिक्री (Annual Turn over) के आधार पर **''ए'' श्रेणी** के जनपदों में वार्षिक ज्नतद वअमत का 5ः एवं **''बी'' श्रेणी** के जनपदों में 3ः अनुदान सहायता दी जायेगी। इकाई के सालाना बिक्री (Annual Turn over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल return तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

(7)– <u>मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहनः</u>

प्रदेश की औद्योगिक नीति–2003 में मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दिए जाने का प्राविधान किया गया हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिये **मेगा प्रोजेक्ट्स** हेतु अचल पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रू0 5 करोड़ निर्धारित करते हुये केवल अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित

किया जायेगा तथा इन मेगा प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं/छूट पात्रता के अनुसार अनुमन्य होंगी।

(8)– उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं सर्वेक्षणः–

(i) उद्यमिता कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा तकनीकी जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए स्थानीय लोगों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर उद्योगों की मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा स्वतः उद्यम की स्थापना को अभिप्रेरित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों/विश्वविद्यालयों से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा। यदि क्षेत्र में किसी विशेष सर्वेक्षण व अध्ययन की आवश्यकता हुई तो वह भी इस मद से किया जायेगा।

(ii) कौशल विकास (Skill Development) प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए उद्यमिता कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु निजी संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि संस्थाएं कौशल विकास प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मशीनरी व टूलस् की स्थापना संस्थान में करती हैं, तो इस मद में किये गये व्यय पर राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त उपादान व अन्य सुविधाओं का लाभ इन संस्थाओं को दिया जायेगा। उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये Bench Marking System के आधार पर प्रशिक्षण के कौशल का स्तर निर्धारित एवं मान्य(accredited) होने पर ही वित्तीय सहायता/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। साथ ही ऐसी औद्योगिक इकाईयों/अशासकीय संस्थायें ;छळव्द्ध के स्किल डेवलपमेन्ट कार्यक्रमों को भी सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जो अपने उपक्रमों/संस्थाओं में अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे।

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन आधारित उद्यम विकास के लिये विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं से सहायता ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं से कराये जायेंगे।

(9)– स्थानीय संशाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहनः–

1– पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधाओं (Common Facilities) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) के रूप में संचालित किया जायेगा। केन्द्र के संचालन के लिये प्रोपराईटरी, फर्म, कम्पनी अथवा संस्था के लिये प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित, यथाः चीड़ की पत्ती, रामबांस व अन्य फाईबर, फल व शाक–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि के प्रशोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण आदि के लिये शोध एवं विकास (Research & Development) करने पर सहायता प्रदान की जायेगी तथा स्थानीय उपलब्ध कच्चेमाल, यथाः फल व शाक–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा डिब्बा बन्दी के कार्य प्रोत्साहित किये जायेंगे। क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के उत्पादों के विपणन में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। ऐसी संस्था/केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल के वैज्ञानिक विदोहन की विधि में होने वाले व्यय पर वन अनुसंधान केन्द्र, सी0एस0आई0आर0, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों से तकनीकी परामर्श/सेवा आदि प्राप्त करने पर जो व्यय होगा, उसकी 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति परामर्श उपादान के रूप में की जायेगी। इसके साथ ही इन सामान्य सुविधा केन्द्रों द्वारा विपणन सहयोगी संस्था के रूप में उद्यमियों को Forward Linkage भी प्रदान किया जायेगा।

2– औद्योगिक नीति–2003 में वित्तीय प्रोत्साहनों के अन्तर्गत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित संस्थाओं से गुणवत्ता चिन्हांकन तथा आई0एस0ओ0प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 2 लाख, प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता दिये जाने की प्राविधान किया गया है। वर्तमान में यह सुविधा केवल

आई0एस0ओ0प्रमाणीकरण एवं पेटेन्ट पर दी जा रही है। अतः उक्त नीति के तहत आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय/अन्र्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0एस0आई0 चिन्हांकन, क्वालिटी मार्किंग, बी0आई0एस0, एफ0पी0ओ0 लाईसेन्स, ट्रेड मार्क एवं कापी राइट पंजीकरण आदि प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय के 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी।

(10)– <u>विपणन प्रोत्साहन सहायताः</u>

1– उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराये जायेंगे।

2– प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के शिल्पियों/उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन हेतु राष्ट्रीय, प्रादेशीय तथा जिला स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये भाड़े की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

3– राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माणक/उत्पादक औद्योगिक इकाईयों को राजकीय क्रय में मूल्य वरीयता में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।

(11)– <u>वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की मात्राः</u>

1– सभी पूंजी उपादान योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि सभी प्रकार के पूंजी व विशेष पूंजी उपादानों से मिलने वाले कुल अनुदान की धनराशि इकाई में लगे अचल पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत (अधिकतम रू0 60 लाख) से अधिक नहीं होगी।

2– प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों को उद्यम की स्थापना पर सभी अनुमन्य सहायतायें श्रेणी–ए के जनपदों में अनुमन्य अधिकतम सीमा तक बिना इस बात के कि उनकी इकाई श्रेणी–ए अथवा श्रेणी–बी के जनपद में स्थापित है, अनुमन्य होगी।

(12)– <u>योजना के अनुमोदन तथा प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया:</u>

1– पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु पैकेज की मूल भावना एवं उद्देश्यों के अनुरूप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति विचार कर समुचित निर्णय लेगी।

2– अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को भी प्राधिकृत किया जायेगा।

4– विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/ रियायतों एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश (Guide lines) तैयार कर जारी करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग को अधिकृत किया जायेगा।

(12)– इस नीति के प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उल्लिखित गतिविधियों/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जायेगा।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 488 / VII-II-08/08 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–232/27–9–08/स्टाम्प–35/08
देहरादूनः दिनांकः 15 सितम्बर, 2008

आदेश

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भू–खण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में तथा यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान/मैगा प्रोजैक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख–पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।

इस अधिसूचना में ''दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों'' का अभिप्राय औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–488/VII-II-08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में परिभाषित है।

एल.एम. पन्त
सचिव।

संख्या–232 (1)/27–9–08/स्टाम्प–35/08, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. उप निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एस.एस. वल्दिया
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08
अधिसूचना

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2008

संख्या–488/सात–II–08/08 राज्य शासन एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति में घोषित अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुवों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश/नियम लागू करता हैः–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि

1. यह दिशा–निर्देश/नियम **विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008** कहलायेगी।
2. यह नियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2008, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 में अधिसूचित है से प्रवर्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/VII-II-08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में योजनान्तर्गत अनुदान सहायता/छूट की अनुमन्यता/पात्रता के लिये दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

(i) **श्रेणी–एः** जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत।

(ii) **श्रेणी–बीः** जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग, जनपद नैनीताल(हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर) तथा जनपद देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकासखण्ड को छोड़कर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बहुल विकासखण्ड।

परिभाषा

1. **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, ऐसा उद्यम जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा जिसके लिए उद्यम की स्थापना का आशय रखने अथवा उद्यम स्थापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी होः–

(i) **विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः–**

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची

में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में, जैसेः–

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(ख) एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ii) सेवा प्रदाता उद्यमः–

सेवा प्रदाता उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों।

सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,

(ख) एक ऐसे लघु उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या

(ग) एक ऐसे मध्यम उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

2. **बृहत औद्योगिक इकाईः**

बृहत औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आई.ई.एम./एस. आई.ए./औद्योगिक लाइसेंस/आशय– पत्र (जैसी स्थिति हो) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

3. **बृहत परियोजना (Mega Project):**

बृहत परियोजना से आशय ऐसी औद्योगिक परियोजना से है जिसमें स्थायी परिसम्पत्तियों में 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् रू. पांच करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो तथा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से एस.आई.ए./आई.ई.एम./ आशय–पत्र (जैसी स्थिति हो) में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति (acknowledgement) प्राप्त हो।

विनिर्माणक/ उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यम	अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रस्तर–1 में उल्लिखित विनिर्माणक/उत्पादक (manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. **हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगः**

(i) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के परिपत्र/शासनादेश सं0– 2164/37/एआरएन/97 दिनांक 3–6–97 की अनुसूची–1 में प्रवर्गीकृत अप्रदूषणकारी 220 हरित प्रवर्ग के चिन्हित उद्योग/उद्यम।

(ii) दून घाटी अधिसूचना, 1989 में लाल श्रेणी के अन्तर्गत प्रवर्गीकृत निम्नांकित उत्पादक उद्यमों को छोड़कर अन्य सभी उद्यमों को हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी उद्यम के रूप में चिन्हित किया गया हैः–

1 Aluminium smelter
2 Distillery including Fermentation industry
3 Dyes and Dye-intermediates.
4 Fertilizer.
5 Iron and Steel (Involving processing from ore/ scrap/ Integrated steel plants)
6 Oil refinery (Mineral oil or Petro refineries)
7 Pesticides (Technical) (excluding formulation)
8 Petrochemicals (Manufacture of and not merely use of as raw material)
9 Paper, Straw Board, Pulp Card Board (Paper manufacturing with pulping)
10 Tanneries
11 Thermal Power Plants
12 Zinc smelter
13 Ceramic/Refractores.
14 Chemical, Petrochemical and Electrochemicals including manufacture of acids such as Sulphuric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid etc.
15 Chlorates, Perchlorates and Peroxides.
16 Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine and their Compounds.
17 Coke making, coal liquefaction, Coaltar distillation or fuel gas making
18 Explosives including detonators, fuses etc.
19 Fire crackers.
20 Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black

etc.

21 Industry or process involving eletroplating operations.

22 Lead re-processing & manufacturing including lead smelting.

23 Mining and ore-beneficiation

24 Phosphate rock processing plants

25 Phosphorous and its compounds.

26 Potable alcohol (IMFL) by blending or distillation of alcohol, Distilleries and Brewaries

27 Slaughter houses and meat procesing unts.

28 Steel and steel products including coke plants involving use of any of the equipment's such as blast furnaces, open hearth furnace, induction furnace or arc furnace etc. or any of the operations or processes such as heat treatment, acid pickling, rolling or galvanising etc.

29 Stone Crushers

30 Synthetic detergent and soap.

31 Tobacco products including cigarettes and tobacco processing.

32 Synthetic Rubber.

33 Chemicals

34 Glass

35 Galvanising, Heat treatment, induction heating running on continuous basis.

36 Aluminium refining and manufacturing

37 Sulphuric Acid with contact process.

38

39 Vanaspati involving Hydrogenation process (not applicable to refined oils)

40 Chemical Fertilizers.

41 Drug Manufacturing Industries having fermentaion process and having contracted load more than 1 MVA

2. **विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग:** भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों की चिन्हित गतिविधियाँ।

3. **प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ:**

(i) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की

अधिसूचना संख्या–812/ अ0वि0/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 में अधिसूचित पुष्पकृषि (Floriculture) व्यवसाय।

(ii) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–926/अ0वि0/04–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में अधिसूचित निर्धारित प्रजनन/वार्षिक क्षमता वाले परिक्षेत्र में विद्युत का उपयोग बॉयलर/लेयर/अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रित रूप से किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) कुक्कुटपालन।

(iii) पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–483/VI/2004–333 (पर्य0)/2003 दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियॉ।

(iv) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–406/XVI/04/298/2002 दिनांक 17 मई, 2002 में उल्लिखित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/ राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्रता रखने वाली गतिविधियॉ।

4. **पूर्वोत्तर राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज–2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र की गतिविधियॉः**

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–1(13)/2003–एसपीएस दिनांक 14 सितम्बर, 2004 तथा शुद्धीपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2004 में परिभाषित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियॉ, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, स्पा, मनोरंजन/amusement पार्क तथा रोप–वे सम्मिलित हैं।

(ii) पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियॉ।

<u>स्पष्टीकरण</u>

(1) होटल में किराये पर देने योग्य न्यूनतम 08 कमरों का आवश्यक सुविधाओं युक्त व्यवसायिक भवन।

(2) होटल भवन निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त तथा उचित पहुंच वाले स्थल पर हो।

(3) होटल में निर्मित कक्षों का आकार एवं क्षेत्रफल स्थानीय उपनियमों तथा मानकों के अनुरूप हों।

(4) होटल के कम से कम 50 प्रतिशत कक्षों में attached

स्नानगृह/प्रसाधन/शौचालय की सुविधा हो।

(5) होटल के शेष 50 प्रतिशत कक्षों के लिये भी समुचित प्रसाधन/स्नानगृह/शौचालय की व्यवस्था हो।

(6) होटल में ठण्डे/गरम पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।

(7) होटल में टेलीफोन सुविधा युक्त स्वागत कक्ष हो तथा होटल का फर्नीचर साफ व आरामदायक हो।

(8) होटल का भोजनालय स्वच्छ, हवादार, आधुनिक उपकरणों से सुजज्जित हो तथा होटल में स्वच्छता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो।

(9) खेल तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों में अनुमोदित गतिविधियॉ।

(10) केबिल कार तथा ट्रॉली युक्त रोप–वे।

(11) **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता** हेतु पात्र गतिविधियां तत्सम्बन्धी योजनाओं की गाईड–लाइन्स के अनुरूप होंगी।

(iii) **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नसिंग होमः–**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम/चिकित्सालय।

(1) नगरपालिका तथा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थापित आधुनिक पद्धति के चिकित्सा उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिकल पैथोलॉजी, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, ऑपरेशन थियेटर, औषधि भण्डार तथा आपातकालीन सुविधाओं युक्त 10 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक शल्य/काय चिकित्सा विशेषज्ञ सहित दो सामान्य चिकित्सक (जिनकी न्यूनतम अर्हता एम.डी./एम.एस./एम.बी.बी.एस./बी.आई. एम.एस. अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक की डिग्री हो) आवश्यक प्रशिक्षित महिला/पुरूष सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(2) नगरपालिका तथा टाउन एरिया की परिधि से न्यूनतम 20 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थापित आधुनिक पद्धति के आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, टीकाकरण, ई.सी.जी. तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवायें एवं आपातकालीन सुविधाओं युक्त 5 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक चिकित्सक (Physician) तथा एक प्रशिक्षित महिला नर्स एवं दो अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(3) आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी तथा पंचकर्म पद्धति से

चिकित्सा एवं उपचार के लिये स्थापित चिकित्सा केन्द्र भी नर्सिंग होम की श्रेणी में आयेंगे, किन्तु इसके लिये आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त कर सम्बन्धित पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

(4) नर्सिंग होम की स्थापना के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय/चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा।

(5) नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं उपचार के लिये सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अधीन केन्द्रीय/प्रादेशिक चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/ अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iv) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानः–

(1) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–10(3)/ 007–डीवीए–II/ एनईआर दिनांक 21 सितम्बर, 2007 में प्रस्तर–1(v) में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत उल्लिखित होटल प्रबन्धन, कैटरिंग तथा फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग, औद्योगिक एवं कौशल विकास गतिविधियॉ।

(2) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अथवा प्रादेशिक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा परिषद से पंजीकृत/सम्बद्धता (Affiliation) होनी आवश्यक है तथा प्रशिक्षण का स्तर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुरूप अपेक्षित स्तर का हो।

(3) पैरा मैडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार चिकित्सा संकाय की शासकीय निकाय से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v) जैव प्रौद्योगिकीः

जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियॉ, जिनमें उपकरण, यंत्र–संयंत्र की सहायता से उत्पादन अथवा प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा हो।

5. **संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेजः**

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/संचालित गतिविधियॉ।

(2) कृषि एवं औद्यानिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित संरक्षित कृर्षि एवं औद्यानिकी गतिविधियॉ।

(3) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.सी.सी.. –2000 एवं एन.आई.सी.–2004 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के पौली हाउसेज/ग्लास हाउसेज/निर्मित शेडों से संरक्षित कृषि उत्पाद, यथाः टिस्यू कल्चर, मशरूम उत्पादन, लाइव ट्रीज, प्लान्ट्स, बल्ब्स, रूट्स, कट फ्लावर, औरनमेटल तथा हाईड्रोफोनिक्स आदि गतिविधियॉ।

(4) विशिष्टविधि वातारण नियंत्रण सुविधा से युक्त शीत भण्डार।

6. **पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदामः**

(i) श्रेणी–बी में वर्गीकृत पर्वतीय क्षेत्र/ जनपद की नगरपालिका/टाउन एरिया से बाहर, जहॉ पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की सुविधा पहले से उपलब्ध हो, से न्यूनतम 25 कि.मी. की दूरी पर स्थापित होने वाले पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम। श्रेणी–ए के जनपदों में यह दूरी न्यनतम 10 कि.मी. होगी।

(ii) पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की स्थापना के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से उद्यम की स्थापना के लिये नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो।

योजना से व्यवहृत इकाईयॉ एवं पात्रता क्षेत्र

1. अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–1 में अधिसूचित सभी विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र की चिन्हित उद्यमों, जिनको इस नियमावली में स्पष्ट किया जा चुका है, पर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रदत्त अनुदान/ रियायतों तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में अथवा सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किया गया हो और जिन्होंने स्थापना के लिये सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो।

(i) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के लिये उद्यमी ज्ञापन भाग–1 सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(ii) बृहत उद्यम की स्थापना के लिये भारत सरकार, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक सहायता सचिवालय) अथवा सम्बन्धित मंत्रालय में आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/एस.आई.ए. पंजीकरण के लिये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(iii) यह प्रोत्साहन एवं सुविधायें नई औद्योगिक इकाईयों, यदि सम्बन्धित योजनाओं में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को ही उपलब्ध होंगी।

नये उद्यम की परिभाषा

1. **नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की गई हो। उद्यम की स्थापना की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, अभिप्रेत हैंः–**

(i) कार्यशाला भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि।

(ii) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

(iii) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(iv) उद्यम के लिये अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक।

(v) किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्त पोषण बैंक द्वारा उद्यम के लिए स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त संवितरित करने का दिनांक।

स्पष्टीकरणः

1. वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक।
2. उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन, भाग–2 फाइल करने का दिनांक।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम

1. स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से है, जिसके उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिये वांछित प्रमुख कच्चामाल राज्य में उपलब्ध हो तथा कुल प्रयुक्त कच्चेमाल में से स्थापित उद्यम द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत कच्चेमाल की सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर से ही की गई हो।
2. स्थानीय संसाधनों पर आधारित चिन्हित उद्यमों के अन्तर्गत अधिसूचना में प्राथमिक रूप से फल, साग–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि का प्रशोधन, प्रसंस्करण व भण्डारण, रामबॉस, चीड़ की पत्ती व अन्य फाइबर आधारित उद्यम, ऊन, रेशम व अंगोरा वस्त्रों

का उत्पादन, जैम, जैली, अचार, मुरब्बा, व जूस, शहद, मशरूम, पुष्पकृषि, जैविक खाद्य पदार्थ, मिनरल वाटर, दुग्ध उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण तथा पुस्तेनी परम्परागत उद्यमों को सम्मिलित किया गया है। कच्चेमाल की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति सम्यक् विचारोपरान्त उद्यमों का निर्धारण कर सकेगी।

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने का दिनांक

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से होगा, जब नये स्थापित विनिर्माणक/सेवा उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया हो, जो कि निदेशक उद्योग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित हो।

अचल पूँजी निवेश

अचल पूंजी निवेश से तात्पर्य भूमि, भवन, प्लाण्ट व मशीनरी,, यंत्र–संयंत्र तथा उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी। पूंजी निवेश उपादान सहायता की अनुमन्यता हेतु केवल उद्यम के कार्यशाला भवन/शेड तथा प्लाण्ट–मशीनरी तथा उपस्कर मद में किये गये अचल निवेश की गणना की जायेगी, उद्यम हेतु अर्जित भूमि पर किये गये निवेश को उपादान सहायता हेतु अचल निवेश में नहीं जोड़ा जायेगा।

1. भूमिः–

   भूमि की कीमत में उद्योग के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो उसे क्रय करने में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि के अतिरिक्त भूमि के विकास पर, यदि कोई धनराशि व्यय की गयी हो, तो वह भी सम्मिलित की जायेगी। निजी व्यक्ति व संस्था से पट्टे पर ली गयी भूमि की अवधि कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु सरकारी संस्था से ली गयी भूमि के संबंध में लीज अवधि की कोई न्यूनतम सीमा न होगी। लीज से सम्बन्धित व्यय को स्थायी विनियोजन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विक्रय/लीज विलेख पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. भवनः–

   इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन के क्रय अथवा उसके निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय को भवन का मूल्य माना जायेगा। आवासीय तथा कार्यालय भवनों को भवन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किराये के निजी भवन में स्थापित मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों पर विनियोजित धनराशि पर उपादान की पात्रता के लिये न्यूनतम 15 वर्ष का पंजीकृत किरायानाम आवश्यक होगा। सरकारी संस्था से लिये गये भवन के मामले में किराये की कोई न्यूनतम अवधि न होगी।

3. **मशीनरीः–**

मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीने, संयंत्र व उपकरण इकाई के कार्यशाला में प्राप्त हो गये हों, उनके मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा। प्लाण्ट व मशीनरी के परिवहन व्यय, डेमरेज व बीमा प्रीमियम के व्यय तथा अन्य सहायक उपकरणों जैसेः औजार, जिक्स, डाई, मोल्ड आदि को भी, यदि यह पाया जाता है कि उत्पादन में इनकी वास्तव में आवश्यकता है, मशीनरी के लागत मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु कार्यशील पूंजी जैसेः कच्चामाल, उपभोग वाला भण्डार आदि को मशीनरी उपकरण व संयंत्रों के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विविध परिसम्पत्तियों, जैसेः कार्यालय उपकरण, लाइन चार्जेज, ट्रॉसफार्मर, जेनरेटिंग सेट आदि पर अनुदान देय नहीं होगा।

औद्योगिक आस्थान की परिभाषा

1. **औद्योगिक आस्थान का तात्पर्यः राज्य सरकार द्वारा विकसित/अधिसूचित ऐसे क्षेत्र से होगा, जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित किया गया हो।**

(अ) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हो तथा जिस क्षेत्र को ऐसा घोषित किया गया हो।

(ब) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो या जो क्षेत्र ऐसे आस्थान/क्षेत्र घोषित किये गये हों।

2. अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया

1. पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की औद्योगिक स्थिति पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके कियान्वयन के लिये औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4544/सात–2/98–उद्योग/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है। यह समिति शासनादेश में वर्णित

कार्यों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।

2. विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

(i)	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन	**अध्यक्ष**
(ii)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(iii)	अपर सचिव, पर्यटन/ लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ ऊर्जा/ वन एवं पर्यावरण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ प्राविधिक शिक्षा/ खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(iv)	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक	**सदस्य**
(v)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी	**सदस्य**
(vi)	अपर निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड	**सदस्य सचिव**

इस समिति को रू. 5 लाख से अधिक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

3. **विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की उप समति का गठन निम्नानुसार होगाः–**

(i)	जनपद के जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
(ii)	जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	**सदस्य**
(iii)	अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	**सदस्य**
(iv)	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	**सदस्य**
(v)	सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के जिला स्तरीय समन्वयक	**सदस्य**
(vi)	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	**सदस्य**
(vii)	जिला पर्यटन/कृषि/उद्यान अधिकारी	**सदस्य**
(viii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**सदस्य**
(ix)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	**सदस्य सचिव**

इस समिति को रू. 5 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह यदि चाहें, तो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

अनुदान की सीमा	1.	प्रदेश के मूल अथवा स्थाई उद्यमी द्वारा श्रेणी–बी के जनपदों में नये उद्यम की स्थापना करने पर **श्रेणी–ए** के जनपदों में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा/मात्रा के बराबर अनुदान/छूट अनुमन्य होगी।
	2.	राज्य पूंजी निवेश उपादान/प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि विभिन्न स्रोतों से अचल पूंजी निवेश पर मिलने वाले पूंजी उपादानों की कुल धनराशि उद्यम में लगे अचल पूंजी विनियोजन के 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 60 लाख से अधिक नहीं होगी।
	3.	विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत स्थापित ऐसे उद्यम, जिनका उत्पाद/क्रियाकलाप भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/ 2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों में सम्मिलित है अथवा जो भारत सरकार से अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की भूमि पर स्थापित हों, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान सहायता तथा प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष पैकेज के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर छूट, केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
नियमावली के प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/ रद्द करने का प्राधिकार	1.	**इस नियमावली के संगत प्राविधानों के तहत शासन किसी भी समय** **(i)** इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने, **(ii)** उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने में छूट देने, अथवा **(iii)** नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी। **(iv)** विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।
अन्य	1.	इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकेगा।

2. इस नियमावली में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर व्याख्या देने का अधिकार शासन को होगा।
3. अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं आडिट आदि के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।
4. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2,
संख्याः 2373/VII–II/123–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–488/VII–II/ 123–उद्योग/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्र/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति के प्रस्तर–5 में इंगित प्रोत्साहन, सुविधाओं हेतु निम्नलिखित योजनाओं से सम्बन्धित नियमावली संलग्न विवरणानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) से छूट
2. नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना नियमावली–2008
3. औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि योजना नियमावली–2008
4. औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली–2008
5. विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली–2008
6. विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008
7. विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली–2008
8. राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ./ बी.आई.एस./ पेटेन्ट/ क्वालिटी मार्किंग/ ट्रेड मार्क/ कापीराइट/ एफ.पी.ओ./ प्रदूषण नियंत्रण आदि प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

संलग्नः यथोक्त।

पी.सी.शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2373(1)/VII-II/123–उद्योग/2008 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 500 प्रतियॉ शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

पी.सी.शर्मा
प्रमुख सचिव।

विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) से छूट

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488–औ.वि. /सात–2–08/2008 दिनांक 29–2–2008 के प्रस्तर–5(5) द्वारा अनुमोदित)

1. संक्षिप्त नाम

यह योजना "विनिर्माणक (Manufacturing) क्षेत्र के नये उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय **मूल्य वर्धित कर** की प्रतिपूर्ति नियमावली–2008 कहलाएगी।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले विनिर्माणक उद्यमों को बाजार की प्रतिस्पर्धा को बनाये रखते हुए इकाई के उत्पादन मूल्य में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके।

3. कार्यान्वयन की अवधि

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 तक अथवा जब तक शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश पारित न कर दिया जाय, लागू रहेगी।

4. परिभाषायें

(क) मूल्य वर्धित कर (VAT):– मूल्य वर्धित कर से तात्पर्य, "विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना विविध संख्या–615/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2005 से प्राख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005" (अधिनियम संख्या–27 वर्ष 2005) में परिभाषित मूल्य वर्धित कर से अभिप्रेत है।

(ख) विनिर्माण/उत्पादक तथा सेवा उद्यमः–

(1) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II.08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(3) बृहत उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत् निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस.आई.ए./आई.ई.एम./आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT)

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की विक्री पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर स्वीकृत सहायता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा **श्रेणी–ए** के जनपदों के लिए कुल कर देयता का 90 प्रतिशत तथा **श्रेणी–बी** के जनपदों में कुल कर देयता का 75 प्रतिशत होगी। उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों द्वारा **श्रेणी–बी** के जनपदों में स्थापित उद्यमों को भी मूल्य वर्धित कर में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता श्रेणी–ए के जनपद के समान अर्थात 90 प्रतिशत देय होगी।

6. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया

मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय नोड़ल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

7. मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

पात्र उद्यमियों द्वारा त्रैमासिक, षटमासिक अथवा वार्षिक रूप से, कर निर्धारण एवं कर भुगतान करने के पश्चात्, अपने उद्यम में उत्पादित उत्पाद के विक्रय पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर के प्रमाणित/सत्यापित प्रपत्रों सहित निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहपत्र/अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे:–

(क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किए गए उद्यमिता ज्ञाप भाग–2 की प्रति अथवा बृहत उद्योग की स्थापना के पश्चात् भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये आई.ई.एम. पार्ट–2/एल.ओ.आई. की सत्यापित प्रति।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(ग) वैध मूल्य वर्धित कर भुगतान की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

(घ) वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Returns) की सत्यापित प्रति।

8. प्रतिपूर्ति दावों की वसूली।

(क) यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(ख) उद्यमि द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न कराए या उक्त नियमावली अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के निर्धारित मानकों के पालन न करने पर प्रतिपूर्ति सहायता राशि एकमुश्त भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(4) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि** — यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

3. **योजना का लागू होना** — यह योजना अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में वर्गीकृत राज्य के दूरस्थ व पर्वतीय जनपदों/क्षेत्रों में लागू रहेगी।

4. **विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों की परिभाषा**

   1. नये अभिज्ञात अर्ह विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Identified Eligible Manufacturing & Service Enterprises) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।

   2. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Manufacturing & Service Enterprises) से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

   3. बृहत उत्पादक तथा सेवा उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत् निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस.आई.ए. (Secretariat of Industrial Assistance)/आई.ई.एम. (Industrial Entreprenuer's Memorandum)/आशय पत्र (Letter of

Intent) (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

4. विद्युत दर से तात्पर्य प्रति इकाई विद्युत उपभोग मूल्य से है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार छूट कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

5. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियां एवं प्रतिपूर्ति सहायता मात्रा/सीमा

1. विनिर्माणक (Manufacturing) एवं सेवा क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम, जिन्हें अपात्र चिन्हित उद्यमों में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता पात्रता की सीमा के अन्तर्गत हो, को कुल स्वीकृत/संयोजित विद्युतभार में से उपभोग किये गये विद्युत बिल के भुगतान करने पर निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगीः—

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexture-2 में अधिसूचित थ्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत **Sl.no. 6:** Sugar and its by-products, **Sl.no. 10:** Sports goods and articles & equipment for general physical excise and equipment for adventure sports/activities, tourism (to be separately specified), **Sl.no. 11:** Paper & Paper products excluding those in negative list (as per excise classification, **Sl.no. 12:** Pharma Products, **Sl.no. 13:** Computer Hardware, **Sl.no. 15:** Eco-tourism Units, such as Hotels, Resorts, Spa, Entertainment/ amusement parks and ropeways and **Sl.no. 16:** Industrial gases (based on atmospheric fraction) गतिविधि को छोड़कर अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों पर जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता 100 के.वी.ए. अथवा उससे कम हो, को संयोजित विद्युतभार में से प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगा।

(ii) अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों, जिनमें उत्पादक (Manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र (Service Sector) के चिन्हित उद्यमों (अधिक खपत करने वाले उद्यमों को छोड़कर) को सम्मिलित किया गया है, को 500 केवीए संयोजित विद्युतभार तक, प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तथा

500 केवीए से अधिक के संयोजित विद्युतभार पर प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

2. अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–4(ब) में उल्लिखित उद्यमों, यथाः होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रौलिंग मिल्स, इलैक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाईयॉ, जो अधिक विद्युत खपत करती हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।

3. अधिक विद्युत खपत करने वाले उद्यमों के अन्तर्गत चिन्हित निम्नांकित उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्यम भी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगेः–

(i)	Synthetic Fibre, Man Made Fibre, Rayon	(ii)	Tyres and Tubes of Rubber Manufacturing
(iii)	Synthetic Rubber	(iv)	Chemicals
(v)	Paper, Straw Board, Pulp, Card Board	(vi)	Glass Manufacturing
(vii)	Acetylene and Oxygen	(viii)	Solvent Extraction Plant
(ix)	Galvanising, heat treatment, induction heating running on continuous basis	(x)	Alumunium refining and manufacturing
(xi)	Camphor	(xii)	Cement
(xiii)	Sulpuric Acid with contact process	(xiv)	Caustic Soda
(xv)	Oxygen for medical purpose	(xvi)	Distilleries and Brewaries
(xvii)	Vanaspati invlolving Hydrogenation process(not applicable to refined oils)	(xviii)	Drug Manufacturing Industries having fermentation process and having contracted load more than 1 MVA
(xix)	Chemical Fertilizers	(xx)	Rubber emulsifier

4. सभी अनुमन्य विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विनिर्माणक उद्यमों के आवासीय अथवा अन्य गैर उत्पादक क्रियाकलापों (Advertize & show) पर उपयोग की गई विद्युत के मूल्य में प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य नहीं होगी। कुल संयोजित विद्युतभार में से उत्पादन/सेवा कार्य व कार्यालय में उपभोग किये गये विद्युत तथा आवासीय एवं अन्य गैर अनुत्पादक क्रियाकलापों पर

उपभोग विद्युत का आंकलन ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत संयोजन देते समय सुनिश्चित कर तद्विषयक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसके आधार पर ही प्रतिपूर्ति दावे स्वीकृत किये जायेंगे।

6. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेन्सी

विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

7. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रकिया

पात्र उद्यमों को निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगाः–

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।

2. बृहत उद्यम की स्थापना हेतु भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये एस.आई.ए./आई.ई.एम./एल.ओ.आई. की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

4. विद्युतभार स्वीकृति पत्र तथा विद्युत मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।

5. वैध विद्युत बिल तथा इसके भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

6. निश्चित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने के पश्चात् तीन माह के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावा प्राप्त होने पर दावे का परीक्षण कर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति में दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति से स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को दावे की स्वीकृति की संसूचना दी जायेगी। उद्योग निदेशालय बजट आवंटन होने पर सम्बन्धित जनपद को बजट की उपलब्धता के आधार पर मांगी गई धनराशि का आवंटन करेगा। धनराशि प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित इकाई को स्वीकृत धनराशि संवितरित की जायेगी।

8. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता केवल व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा कार्य हेतु उपभोग की गई विद्युत की विद्युत नियामक आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विद्युत दरों (Electricity tarrif), जिनमें विद्युत कर/उपकर, विलम्ब शुल्क आदि सम्मिलित नहीं होगा, पर ही अनुमन्य होगी।

8. प्रतिपूर्ति सहायता की वसूली

1. यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सहायता प्राप्त की गई हो।

2. प्रतिपूर्ति सहायता की अर्हता के लिए विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम का नियमित उत्पादनरत्/कार्यरत् रहना अपेक्षित है। उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय के लिये निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. छूट सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मॉगे जाने पर सूचना उपलब्ध न कराने अथवा प्रस्तर–9(1) व (2) में उल्लिखित शर्तों के पालन न होने पर छूट सहायता की वसूली एक मुश्त राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **उद्देश्य** — इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाओं, जैसेः विद्युत, जलापूर्ति, सड़क व सम्पर्क मार्ग, जल निकासी, एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर उद्यमियों को उद्यम स्थापनार्थ प्रोत्साहित करना है।

3. **कार्यान्वयन अवधि** — यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 अथवा तब तक चालू रहेगी, जब तक कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा इसे अन्यथा संशोधित न कर दिया जाय।

4. **परिभाषा**

   1. **''राज्य''** से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है।

   2. **''औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र''** से तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिस राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

   3. **''अधोसंरचनात्मक सुविधा (Infrastructural facility)''** से तात्पर्य विकसित औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान में भूमि विकास, विद्युत, जल, पहुंच मार्ग, जल निकासी युक्त ऐसी अवस्थापना सुविधाओं से है, जिनकी उद्यम स्थापित करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता है।

   4. **''अवस्थापना मैपिंग''** से तात्पर्य प्रस्तर–4(3) में वर्णित ऐसे क्षेत्रों के चिन्हिकरण/अभिज्ञापन से है, जहॉ पर औद्योगिक विकास की सम्भावनायें हैं, परन्तु वर्तमान में उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधायें लगभग नगण्य अथवा अपर्याप्त/अविकसित हैं अथवा जहॉ उपलब्ध हैं, उनके वर्तमान स्तर में वांछित कमी के सुधार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

5. **अवस्थापना विकास निधि सृजन का उद्देश्य** — अवस्थापना विकास निधि के सृजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार/निजी क्षेत्र में अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से है। इसके अतिरिक्त इस निधि से ऐसे औद्योगिक आस्थानों,

जहॉ पर उद्यम स्थापित हैं, उद्यमी सहकारी समिति का गठन कर सम्पर्क मार्ग, जलापूर्ति तथा नालियों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक मुश्त अनुदान के रूप में अंश पूंजी के अनुपात में सहायता देना भी है।

6. **पात्रता**

ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जिन्हें औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/ सात–II/ 123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।

7. **नई अवस्थापना सुविधाओं की मदें**

1. विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, विद्युत आपूर्ति में सुधार/उच्चीकरण हेतु औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में नई विद्युत लाइनों के खींचे जाने अथवा नये विद्युत सब स्टेशन के निर्माण।
2. राष्ट्रीय व मुख्य मार्ग से औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं रख–रखाव।
3. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण एवं रख–रखाव।
4. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था।
5. अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन हेतु व्यवस्था।
6. सामान्य सुविधा केन्द्र (Commen facility centre) का विकास।
7. ऐसी अन्य अवस्थापना सुविधायें जो राज्य सरकार औद्योगिक विकास के दृष्टिगत समय–समय पर निर्धारित करे।

8. **सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/ मरम्मत हेतु व्यवस्था**

1. ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जहॉ पर पहले से उद्यम स्थापित हों, में सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/मरम्मत हेतु उद्यमियों की सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. वैध रूप से गठित सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंश पूंजी का 4 गुना, अधिकतम रू0 15.00 लाख (रूपये पंद्रह लाख मात्र) तक एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में रखा जायेगा। इस प्रकार फिक्स डिपोजिट पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव एवं सुविधाओं की मरम्मत पर किया जायेगा। फिक्स डिपोजिट खाते से धनराशि का आहरण/वितरण महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा सहकारी समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। ब्याज के आहरण के पूर्व रख–रखाव/कार्य का प्रस्ताव

समिति की बैठक में रखा जायेगा तथा समिति के सदस्यों की 3/4 उपस्थिति, कोरम के लिये पूर्ण मानी जायेगी।

9. **अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण की प्रक्रिया** — अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया नियमावली में दिये गये नियमों के अन्तर्गत जिला उद्योग मित्र द्वारा निम्न मदों पर विचार करते हुये निर्धारित की जायेगीः—

1. अवस्थापना मैपिंग।
2. अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता तथा उसका औचित्य।
3. वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति।
4. ऑगणन का बनाया जाना एवं परीक्षण।
5. कार्य निष्पादन।
6. निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना।
7. उद्योग मित्र द्वारा प्रतिवर्ष निधि हेतु मॉग पत्र निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को भेजा जायेगा तथा उपलब्ध निधि के लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवस्थापना निधि के कार्यों की वचनबद्धता निधि में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य विशेष के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण अपेक्षित निधि आवंटित हो जानी चाहिये, ताकि आगे धनराशि के अभाव में उक्त कार्य अपूर्ण न रहे।

10. **आडिट व्यवस्था** — उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा उसके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अवस्थापना निधि से सम्बन्धित समस्त लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 माह के अन्दर जिला उद्योग मित्र के समक्ष सूचना/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त 2 माह के अन्दर निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त जनपदों की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। इस निधि का प्रतिवर्ष शत–प्रतिशत आडिट कराया जायेगा, जिसका व्यय अवस्थापना अंशदान से किया जायेगा।

11. **अवस्थापना निधि हेतु संसाधन**

1. कोष के गठन के लिये संसाधन के रूप में राज्य सरकार से रू0 2 करोड़ की धनराशि एक मुश्त अनुदान स्वरूप प्राप्त की जायेगी।
2. ऐसे उद्यमियों, जो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे, से विकास शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कुछ शुल्क लेकर प्राप्त धनराशि को कोष में जमा किया जायेगा।
3. विकास शुल्क का निर्धारण जिला उद्योग मित्र द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा।

12. **अन्य**

1. कोष के कियान्वयन से सम्बन्धित यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित हो, तो ऐसे मामलों को राज्य शासन को निदेशक उद्योग के माध्यम से सन्दर्भित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. यदि नियमावली में समय–समय पर कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाना हो, तो जिला उद्योग मित्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

3. योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का दायित्व जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड का होगा।

4. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

5. यदि किसी वित्तीय वर्ष में एकीकृत पर्वतीय विकास अधिनियम के किसी मद में कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो निदेशक उद्योग प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से उक्त धनराशि को अवस्थापना निधि में स्थानान्तरित कर सकता है।

औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1)(vii) से अनुमोदित)

1.	संक्षिप्त नाम	यह योजना औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता योजना–2008 कहलायेगी।
2.	योजना का प्रारम्भ और अवधि	यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, प्रवर्त्त रहेगी।
3.	योजना का लागू होना	यह योजना विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति– 2008 के प्रस्तर–2 में चिन्हित/अधिसूचित दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए एवं श्रेणी–बी के जनपदों में स्थापित अथवा नये स्थापित होने वाले सरकारी, अर्द्धसरकारी, सहकारी, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों के लिए लागू रहेगी।
4.	परिभाषा	(1) औद्योंगिक आस्थान का तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो। (2) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा विकसित किये गये हो। (3) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थानं से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो। (4) अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधाये जिनमें विद्यत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।
5.	पात्रता	(1) योजनान्तर्गत अनुदान अथवा प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र औद्योगिक आस्थान को निम्नलिखित औपचारिकताएं/शर्ते पूर्ण करनी आवश्यक होंगी:– (i) औद्योगिक आस्थान की भूमि पर राज्य सरकार अथवा निजी प्रवर्तक का पूर्ण स्वामित्व एवं वैधानिक नियंत्रण हो। (ii) औद्योगिक आस्थान राज्य सरकार से अधिसूचित हो। (iii) निजी/संयुक्त/सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक

आस्थान के विकास के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में दो एकड़ या इससे अधिक हो।

(iv) औद्योगिक आस्थान की कुल भूमि का न्यूनतम 50 प्रतिशत भू–भाग अन्य उद्यमियों, को आवंटित करना आवश्यक होगा, किन्तु आवंटी उद्यमियों की संख्या तीन से कम न हो।

(v) औद्योगिक आस्थान का ले–आऊट प्लान/मानचित्र शासन अथवा शासन की अधिकृत एजेंसी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित हो।

(vi) अवस्थापना सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित आंगणन/प्रस्ताव राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अनुमोदित हो।

6. अनुदान/राज सहायता की स्वीकार्य सीमा

योजनान्तर्गत अधिसूचित सभी जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित अथवा स्थापित होने वाले राजकीय/निजी औद्योगिक आस्थान में भूमि के विकास तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं (Infrastructure Facilities) में किए गए कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र), जो भी कम हो, अनुदान सहायता के रूप में देय होगी।

7. अनुदान सहायता के संवितरण हेतु विर्निदष्ट एजेंसी

योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता के संवितरण हेतु उद्योग निदेशक उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत संवितरण एजेंसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (SIIDCUL) अथवा इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी के खाते में जमा कर उसका उपयोग भविष्य में कर सकेगा।

8. अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा निजी प्रर्वतक/उद्यमी स्थापित औद्योगिक आस्थान अथवा नये औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त आस्थान में किये जाने वाले अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसियों से अनुमोदित अपनी परियोजना आगंणन सहित सम्बन्धित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। अनुदान की अनुमन्यता के लिए दावा प्रस्तुत करते समय राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य की गुणवत्ता एवं समाप्ति (Completion) के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र प्राप्त प्रस्तावों को जिला उद्योग मित्र समिति में विचार/निर्णय हेतु प्रस्तुत कर उस पर जिला उद्योग मित्र के अभिमत/संस्तुति सहित स्वीकृति के लिए उद्योग निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निदेशक उद्योग द्वारा जिला उद्योग मित्र समिति से अनुमोदित प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9. **अनुदान सहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया**

1. उच्च प्राधिकृत समिति प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में अनुदान की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर योजनान्तर्गत निर्दिष्ट संवितरण अभिकरण द्वारा औद्योगिक आस्थान में प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ण होने के उपरान्त एकमुश्त की जायेगी, किन्तु ऐसे मामलों में जहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कम से कम 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो तथा इसके सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है, तो सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने पर स्वीकृत अनुदान सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि बतौर अग्रिम अवमुक्त की जा सकती है तथा शेष राशि कार्य की गुणवत्ता का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन करके उसकी संस्तुति एवं कार्य की समाप्ति (Completion) होने पर ही संवितरित की जायेगी।
2. औद्योगिक आस्थान में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग आदि के सम्बन्ध में संवितरण अभिकरण तथा सम्बन्धित एकक् के बीच अनुबन्ध/करार किया जायेगा। इस अनुबन्ध पत्र में किये गये करार का उल्लंघन होने अथवा राज्य सरकार के संज्ञान में अनुदान अथवा राज सहायता दिये जाने के पश्चात् किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आस्थान को योजना प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के भीतर बन्द करने की जानकारी प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान के प्रर्वतक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुदान सहायता की वसूली भू–राजस्व वसूली की तरह 18 प्रतिशत ब्याज सहित कर सकती है।
3. राज्य सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर किये गये व्यय की सदुपयोगिता रिर्पोट निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी। निजी प्रर्वतको/उद्यमियों द्वारा अवस्थापना विकास अनुदान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक आस्थान के कार्य–कलापों के बारे में 10 वर्ष तक, जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, अपनी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/ऑडिट रिर्पोट प्रत्येक वर्ष विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(2) से अनुमोदित)

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।
2.	**योजना का प्रारम्भ और अवधि**	यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त रहेगी।
3.	**पात्रता**	यह योजना औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले प्रस्तर–1 में अधिसूचित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित नये उद्यमों के लिये लागू रहेगी।
4.	**नये उद्यम की परिभाषा**	नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम, स्थाई पूंजी निवेश, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि की वही परिभाषायें मान्य होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/VII-II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हैं अथवा समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्रमाणित परिभाषायें।
5.	**उपादान सहायता की मात्रा/सीमा**	1. **श्रेणी–ए** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) तक। 2. **श्रेणी–बी** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों (1) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) तक। (2) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत, अधिकतम रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तक।
6.	**कार्यशाला भवन, संयंत्र तथा मशीनरी**	1. **भवनः–** केवल उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये

उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये के भवन हेतु कम से कम 10 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी हो। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा।

2. **मशीनरी संयत्र एवं उपकरणः–** मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाईयॉ तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

7. योजना का क्रियान्वयन व सहायता संवितरण हेतु एजेन्सी

योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

1. नये उद्यम स्थापित करने का आशय रखने वाले उद्यमियों को सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में उद्यमी ज्ञापन भाग–1/एस.आई.ए./आई.ई.एम. फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने से पूर्व सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत अपने को पंजीकृत कराना होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा।

   (i) उद्यमी ज्ञापन भाग–1, एस.आई.ए., आई.ई.एम.(जैसी भी स्थिति हो) की प्रति।
   (ii) सूक्ष्म उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजैक्ट प्रोफाइल तथा लघु, मध्यम व बृहत उद्योगों के प्रकरणों में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रोजैक्ट रिपोर्ट।
   (iii) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से यदि परियोजना अनुमोदित हो, तो उसकी प्रति।

(iv) जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति।

(v) उद्यमी ज्ञापन भाग–2/उत्पादन प्रमाण पत्र।

(vi) उत्तराखण्ड के मूल व स्थाई निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र।

(vii) प्रदूषण अनापत्ति/सहमति पत्र।

(viii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामे की प्रति।

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।

(x) आर्कीटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी ऑगणन तथा लागत प्रमाण पत्र (यदि निर्माण लागत रू0 1 लाख से अधिक हो)

(xi) प्लाण्ट एवं मशीनरी का मद/तिथिवार विवरण, निवेशित व्यय, बिल वाउचर तथा भुगतान रसीदों की प्रतियॉ।

(xii) रू0 1 लाख से अधिक का उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(xiii) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दावे का सूक्ष्म परीक्षण करते हुये अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

9. **उपादान सहायता की स्वीकृति/ संवितरण हेतु प्रक्रिया**

1. प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपादान सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008, जिसे कि औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी किया गया है, में अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य/जिला स्तर पर गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति उत्तरदायी होंगी।

2. नये स्थापित उद्यम को स्वीकृत उपादान सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर वितरित की जायेगी। तथापि ऐसे मामलों में जहॉ राज्य सरकार सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुरूप उपादान सहायता की

आधे से अनधिक राशि उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टी के अनुरूप उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में अवशेष राशि उद्यम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् ही वितरित की जायेगी।

3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उपादान सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरित की जायेगी। उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

10. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने पर विचार कर सकता है।
2. निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू0 1 लाख से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक

उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

11. अन्य

1. प्रस्तर–10(1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सदृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

2. योजना के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर शासन का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

3. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश तथा किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./ VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(3) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि** — यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त रहेगी।

3. **परिभाषा**

   1. इस योजना के सम्बन्ध में नवीन सूक्ष्म, लधु, मध्यम एवं बृहत उद्यम की परिभाषायें वही होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हों।

   2. सावधि ऋण से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय हेतु लिया गया हो।

   3. कार्यशील पूंजी से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण/साख सुविधा से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित किया गया हो।

   4. रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आशय, ऐसे वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से है, जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक.15 अक्टूबर, 2008 द्वारा परिभाषित किया गया हो।

4. **पात्रता**

   1. नये विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम, चाहे वह किसी भी श्रेणी(सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत) की हों, को उनके द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन

सहायता की पात्रता होगी।

2. ऐसे उद्यम, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती हो, इस सहायता की पात्र नहीं होंगी।

3. भारत सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

4. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

5. ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।

6. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

5. उपादान सहायता की सीमा एवं मात्रा

1. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

2. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–बी के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थाई निवासी द्वारा श्रेणी–बी के जनपद में उद्यम स्थापना पर भी उपादान की मात्रा व सीमा 6 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
4. ब्याज उपादान की अवधि की गणना परियोजना हेतु स्वीकृत सावधि व कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृति की प्रथम किश्त संवितरण के दिनांक से अनुमन्य अवधि तक की जायेगी।

5. ब्याज उपादान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात

विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय पर उपादान प्राप्त नहीं होगा।

6. **ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रकिया**	1.	पात्र उद्यमों द्वारा निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा। (i) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति। (ii) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एस. आई.ए./आई.ई.एम.(पार्ट–ए व बी) की प्रति। (iii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की प्रति। (iv) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र। (v) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा सावधि/कार्यशील पूंजी ऋण का स्वीकृति पत्र तथा प्रथम किश्त संवितरण प्रमाण पत्र। (vi) ऋण का स्वीकृति पत्र सिर्फ पहले त्रैमास के आवेदन पत्र के साथ तथा उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन होने पर सम्बन्धित त्रैमास में संशोधित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा। (vii) निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। (viii) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है। (ix) ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्यमी ज्ञापन भाग–2/आई.ई.एम. पार्ट–बी जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा। (x) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावे का परीक्षण कर ब्याज उपादान प्रोत्साहन नियमावली के नियमों के अनुसार परीक्षणोपरान्त दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तथा प्राधिकृत

समिति से स्वीकृति मिलने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

(xi) जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत धनराशि की माँग हेतु निदेशक उद्योग को भेजी जायेगी। निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये जिला उद्योग केन्द्र को धनराशि का आवंटन करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक को उपादान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी, जो उसी ऋणी के खाते में सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। ब्याज उपादान की राशि नकद में नहीं दी जायेगी।

(xii) ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले दो त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. ब्याज उपादान की वसूली

1. ब्याज उपादान की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि इकाई/बैंक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो ब्याज उपादान की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी, जिसकी वसूली सम्बन्धित बैंक/इकाई या दोनों से भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

2. ब्याज उपादान की राशि केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

8. अन्य

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग

सक्षम होंगे।

3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(6) से अनुमोदित)

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. **उद्‌देश्य** — इस योजना का उद्‌देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत बृद्धि की क्षतिपूर्ति कर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

3. **स्वरूप एवं क्षेत्र** — पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऐसे उद्यम, जो स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता प्रदान की जायेगी।

4. **योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि** — यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

5. **नये तथा स्थानीय संसाधन पर आधारित विनिर्माणक उद्यम**
   1. नये तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का तात्पर्य ऐसे विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम से होगा, जिन्हें अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।
   2. कच्चेमाल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे किसी उद्यम ने अपने उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया हो अथवा उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया हो। इसमें इकाई द्वारा उत्पादन में उपयोग किये गये समस्त इन्पुट्स सम्मिलित होंगे।
   3. तैयार माल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे उद्यम ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रादेशिक वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत या अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रमानुसार वास्तव में उत्पादित किया हो, जिसमें सह उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

6. **पात्रता**
   1. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग

निदेशालय, उत्तराखण्ड, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प) में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत क्षेत्र के उन सभी उद्यमों, जो कि स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता अनुमन्य होगी।

3. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम को पृथक रूप से सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिये उद्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक वांछित पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। आवेदन पत्र तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. ईधन, कच्चेमाल अथवा तैयार माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की ऐसी सामाग्रियॉ, जो प्रयुक्त होने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं (Consumables) के लिये सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2008 के बाद स्थापित किये गये समस्त पात्र उद्यमों को अनुमन्य होगी, लेकिन योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण की तिथि से अथवा इसके बाद परिवहन किये गये कच्चेमाल तथा तैयार माल पर ही यह अनुदान देय होगा।

7. उपादान की मात्रा एवं सीमा

1. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–ए के जनपदों में कुल सालाना बिकी का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5.00 लाख प्रति वर्ष।

2. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–बी के जनपदों में कुल सालाना बिकी का 3 प्रतिशत, अधिकतम रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष।

3. इकाई की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल प्रतिफल (Return) तथा सत्यापन रिर्पोट से की जायेगी।

4. यह छूट उन उद्यमों को देय होगी, जिनके उद्यम में स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चेमाल की वर्ष में कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति प्रदेश के अन्दर उपलब्ध/उत्पादित कच्चेमाल से हो रही हो।

8.	**अभिलेखों का रख–रखाव**	1.	इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा तैयार का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी मॉग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
9.	**विशेष परिवहन उपादान दावों का प्रस्तुतिकरण**	1.	उद्यम द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित आवेदन पत्र पर लेखा वर्ष के आधार पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को किया जायेगा। उद्यम द्वारा प्रथम लेखा वर्ष के परिवहन उपादान दावे उसके अनुवर्ती लेखा वर्ष के द्वितीय माह के अन्त तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को अवश्य प्रस्तुत करने होंगे एवं महाप्रबन्धक अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक जॉच/परीक्षण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनुवर्ती लेखा वर्ष के चतुर्थ माह में स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर गठित जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति के सम्मुख अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी उद्यम द्वारा किसी लेखा वर्ष का दावा अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रस्तुत न किया जा सके, तो उसे वह दावा विलम्बतः अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इसके उपरान्त इस दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
		2.	प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा कच्चामाल क्रय तथा तैयार माल बिक्री के बिल, कैश मैमो एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियॉ, वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न तथा वाणिज्य कर विभाग की सत्यापन रिपोर्ट साक्ष्म में उपलब्ध करानी होंगी।
10.	**दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया**	1.	विशेष राज्य परिवहन उपादान के समस्त दावे, चाहे वह किसी भी धनराशि के हों, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत् होगाः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बन्धित उपायुक्त, वाणिज्य कर	सदस्य

		6.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र — संयोजक सदस्य
11.	**उपादान संवितरण की प्रक्रिया**	1.	उपादान के संवितरण के लिये निदेशक उद्योग संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।
		2.	जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।
		3.	प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिये प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की माँग निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी।
		4.	निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/प्राप्त माँग के सापेक्ष धनराशि का संवितरण करेंगे।
		5.	उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।
12.	**संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व**	1.	यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने के लिये कह सकते हैं।
		2.	निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. परिवहन उपादान हेतु अपात्र वस्तुओं एवं अपात्र उद्यमों की सूची में समय–समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

3. परिवहन उपादान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(9)(2) से अनुमोदित)

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।
2.	**उद्देश्य**	इस योजना का उद्देश्य उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता/प्रबन्धन, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।
3.	**सहायता का स्वरूप एवं मात्रा**	आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु उद्यम द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई.एस.आई., क्वालिटी मार्किंग, बी.आई.एस., ट्रेड मार्क, कापीराइट, एफ.पी.ओ. पंजीयन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तक की धनराशि की प्रतिपूर्ति उपादान सहायता के रूप में की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त उपादान सहायता की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी। गुणवत्ता/प्रबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किये गये व्ययों में आवेदन शुल्क, अंकेषण शुल्क, वार्षिक फीस/अनुज्ञा शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, तकनीकी कन्सल्टेंसी, यंत्र–संयंत्र का मूल्य तथा अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित होगा, परन्तु यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, पत्राचार व्यय का समावेश इसमें नहीं किया जायेगा।
4.	**योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि**	यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।
5.	**परिभाषा**	इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्यम आदि की वही परिभाषायें होंगी, जो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/ 123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी की गई हों।
6.	**पात्रता**	1. दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत जनपदों/ क्षेत्रों

में स्थापित नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण/मानकीकरण के तहत आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण एवं समान प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्राप्त करने पर सहायता के पात्र होंगे।

2. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

3. गुणवत्ता प्रमाणीकरण उपादान योजनान्तर्गत उपादान सहायता का लाभ लेने के लिये उद्यम को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि पर आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् किये गये आवेदनों को सहायता प्राप्त नहीं होगी।

4. आवेदन उद्यम द्वारा यदि भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की आई. एस.ओ.–9000/14000 या समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लागू योजना का लाभ प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।

7.	**योजना का कियान्वयन**	योजना का कियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।
8.	**प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन करने तथा स्वीकृति की प्रकिया**	1. नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यमों को निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(i)** सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा विधिमान्य प्राधिकृत विभाग से जारी उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व 2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए., आशय पत्र/पंजीकरण की प्रति। **(ii)** गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। **(iii)** प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय के बिल वाउचरों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(iv) निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(v) भारत सरकार की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ न लेने सम्बन्धी शपथ पत्र।

2. जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का परीक्षण कर दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर दावे की स्वीकृति के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृत दावे की धनराशि की मॉग बैठक के कार्यवृत्त सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी, निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि का आवंटन करेंगे।

9. **सहायता की वसूली** यदि यह पाया जाता है कि उद्यम द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से उपादान सहायता प्राप्त की गई है, तो उपादान की पूर्ण राशि एक मुश्त 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10. **नियमों की व्याख्या**

1. अनुदान की पात्रता, नियमों की व्याख्या या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।
2. योजना के अन्तर्गत निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।